न्यायालयः— अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना—कुचामन

बउनवानः—अब्दुल कयूम बनाम मोहम्मद सलीम व अन्य
किस्मः— दीवानी मूल प्रकरण संख्याः—120 / 12 क.नं.—111 / 19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16-12-25	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 27.11.2025 को आदेश 11 नियम 12 सपठित धारा 151 सीपीसी के पेश प्रार्थना पत्र के संबंध में बहस सुनी गई जिसका निस्तारण किया जा रहा है। वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण के ऋजु निस्तारण के लिए कार्यालय नगर परिषद मकराना से राशन कार्ड संख्या 391, वार्ड नंबर 16 मकराना की राशन कार्ड आवंटन से वर्तमान स्थिति तक की समस्त पत्रावलियां तलब कर रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। उक्त पत्रावलियां प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के पॉवर पजेशन में है जो प्रकरण के निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वादी का वर्तमान राशन कार्ड व पुराना राशन कार्ड दिनांक 23.12.2010 को न्यायहित में रिकॉर्ड पर लिया जावें तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान के जल कनेक्शन क्रमांक 10386 उपभोक्ता अब्दुल करीम पुत्र जमालुदीन गैसावत निवासी पीर की दरगाह गली नंबर 02 मकराना की समस्त पत्रावली तलब की जाकर रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रतिवादी नगर परिषद ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित राशन कार्ड से संबंधित पत्रावली नगर परिषद कार्यालय मकराना में नियमानुसार सूचना के अधिकार के आवेदन पत्र द्वारा	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस की ... में जारी
	प्राप्त कर सकता है। प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित तथ्यों को रिकॉर्ड पर लिए जाने के संबंध में नगर परिषद मकराना को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 03 गलत होने से अस्वीकार है, उक्त पैरा में वर्णित पत्रावली जवाबदाता के कार्यालय में नही है और उक्त पत्रावली कौनसे विभाग में है, के संबंध में भी नही बताया है अतः उक्त प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खारिज किए जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। जहां तक कि प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि कार्यालय नगर परिषद मकराना से राशन कार्ड संख्या 391, वार्ड नंबर 16 मकराना की राशन कार्ड आवंटन से वर्तमान स्थिति तक की समस्त पत्रावलियां तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान के जल कनेक्शन क्रमांक 10386 उपभोक्ता अब्दुल करीम पुत्र जमालुदीन गैसावत निवासी पीर की दरगाह गली नंबर 02 मकराना की समस्त पत्रावली को तलब किया जावें इस संबंध में न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रकट है कि प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई तथ्य वर्णित नही किए है जिससे यह दर्शित होता हो कि प्रतिवादीगण ने उक्त दस्तावेजात बाबत संबंधित विभाग में कोई सूचना के अधिकार के तहत कोई आवेदन पत्र दिया हो और संबंधित विभाग ने उक्त दस्तावेजात देने से मना किया हो चूंकि उक्त दस्तावेजात प्रतिवादीगण के द्वारा सूचना के अधिकार	

Ave Choudhary
अपर सिविल न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	के तहत प्राप्त किए जा सकते है जिससे प्रथम दृष्टया साबित है कि प्रतिवादीगण ने उक्त दस्तावेजात प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास ही नही किए अतः उपरोक्त तथ्यो व परिस्थितयो को देखते हुए प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजात को तलब नही किया जा सकता है अतः प्रतिवादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 सपठित धारा 151 सीपीसी, तथ्य व परिरिरिस्थितियो को देखते हुए स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1(3) सीपीसी दिनांक ..28/11/2024.......... को पेश हो। Sd/- अपर जिला न्यायाधीश ...ना, जिला डीडवाना-कुचामन	